

उत्तराखण्ड शासन
कार्गिक अनुभाग-2
संख्या 183/XXX(2)/2010
देहरादून दिनांक: 11 फरवरी, 2010

24
72


कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्टीरियल संवर्ग के वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार श्रीराज्यपाल निम्नवत संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र.स. | पदनाम | वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न | संशोधित स्टाफिंग पैटर्न |
|--------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. | कनिष्ठ सहायक | 35 % | 32 % |
| 2. | प्रवर सहायक | 30 % | 30 % |
| 3. | मुख्य सहायक | 25 % | 18 % |
| 4. | प्रशासनिक अधिकारी | 10 % | 20 % |

2- जिन कार्यालयों में 10 या इससे अधिक मिनिस्टीरियल कर्मी हों, वहाँ पर 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद रखा जायेगा तथा पूर्व से सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाप्त नहीं किया जायेगा। इस प्रकार से अनुमन्य लाभ दिनांक 1 जनवरी 2010 से नोशनल रूप से दिया जायेगा।


3- कृपया अपने विभाग के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू करते हुए विभागीय संरचनाओं का पुनर्गठन तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


(शत्रुघ्न सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या 183 (1)/XXX(2)/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. सार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(डा. भूपिन्दर कौर औलख)
अपर सचिव।